भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3951
(दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए)

अविनियमित डिजिटल समाचार पोर्टल

3951. श्री शाहू शहाजी छत्रपतीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अविनियमित डिजिटल समाचार पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगभग पूरी तरह से दंडमुक्ति के साथ फर्जी समाचार, घृणास्पद भाषण और चुनाव संबंधी भ्रामक जानकारी का प्रसार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आईटी नियम 2021 के अधिसूचित होने के बाद से इसके तहत जारी किए गए सामग्री हटाने के आदेशों, दंडित किए गए प्लेटफॉर्मों और ब्लॉक किए गए फर्जी समाचार पोर्टलों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए और स्पष्ट नुकसान को रोकते हुए एक पारदर्शी, कानूनी रूप से मजबूत और संपादकीय रूप से स्वतंत्र सामग्री विनियमन ढांचा स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (दिनांक 25 फरवरी, 2021) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

आईटी नियमों के भाग II में, अन्य बातों के साथ-साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मध्यस्थों पर ऐसी सूचनाओं के प्रसार को रोकने का दायित्व निर्धारित किया गया है जो स्पष्ट रूप से झूठी, असत्य या भ्रामक प्रकृति की हैं।
इन नियमों के भाग-III में, अन्य बातों के साथ-साथ, समाचार एवं समसामयिक विषयों के प्रकाशकों द्वारा अनुपालन की जाने वाली आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। इसमें केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता तथा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानकों का अनुपालन करना शामिल है।

आईटी नियमों के तहत एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान किया गया है, जो निम्नानुसार है:

क. स्तर-I- प्रकाशक
ख. स्तर-II- प्रकाशकों का स्व-विनियमन निकाय, और
ग. स्तर- III- केंद्र सरकार का निगरानी तंत्र

केन्द्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों को रोकने के लिए एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अधिकृत स्रोतों से समाचारों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद, एफसीयू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही सूचना पोस्ट करता है।

*****